

RP No. 554  
7-5-2012

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ. 2(1)साप्र/2/2012

जयपुर, दिनांक 25-4-12

-: आदेश :-

इस विभाग के आदेश संख्या प.2(1)साप्र/2/2012 दिनांक 14.3.2012 के द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी की वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये राजकीय आवास का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं :-

क.सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1	15/2011	श्री सय्यद मोहम्मद नजम सहायक निदेशक, यूनानी चिकित्सा निदेशालय विभाग, जयपुर	II/44, गांधीनगर	31.7.2017
2	17/2011	डॉ० प्रभु दयाल उप निदेशक, निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर	एम-11, गांधीनगर	31.5.2016
3	18/2011	श्री गौरव बजाज आर.ए.एस. विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, जयपुर।	एम-14, गांधीनगर	30.11.2030
4	1/2012	श्री ललित दाधीच उप निदेशक (एसएचजी) महिला अधिकारिता, जे-7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर	704, मॉडल टाउन, मालवीयनगर	31.5.2025

राज्यपाल की आज्ञा से

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग।
5. निदेशक, यूनानी चिकित्सा विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
10. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
11. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि०वि०निगम लि० गांधीनगर/मालवीयनगर, जयपुर।
12. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/मालवीयनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
14. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
15. संबंधित अधिकारीगण।
16. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.प्र.वि.।
17. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
18. रक्षित पत्रावली।

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

Clc (web.)  
7-5-2012  
2/05  
8/15